

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर (म0प्र0)

क0 / पीएमएस / आ0वि0 / 2022-23 / 323

सागर दिनांक 25/5/2022

प्रति,

1. रजिस्ट्रार डॉ. हरीशह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय सागर
2. अधिष्ठाता, वुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर
3. प्राचार्य शास. इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर
4. प्राचार्य शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर
5. प्राचार्य शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला सागर
6. प्राचार्य (समस्त) शास. महाविद्यालय जिला सागर
7. प्राचार्य (समस्त) शास.आई टी. आई. सागर
8. प्राचार्य (समस्त) अशास. महाविद्यालय जिला सागर

विषय- वर्ष 2021-22 की अनुरूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान की नवीन व्यवस्था के संबंध में।

=0=

आयुक्त अनुरूचित जाति विकास म.प्र.भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सत्र 2021-22 में स्वीकृत की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का जो भुगतान किया जाना है, उसमें कुल स्वीकृत राशि में से 40% राशि राज्य शासन व 60% राशि केन्द्र शासन के द्वारा भुगतान किया जावेगा। वर्ष 2021-22 हेतु जिला स्तर से राज्य शासन द्वारा प्राप्त 40% राशि का भुगतान किया जा रहा है, शेष 60% राशि का भुगतान केन्द्र शासन के पीएमएस पोर्टल से स्वयं ही 10 से 15 दिवस के अंदर विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में भुगतान होने की संभावना होगी।

अतः जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य अपनी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित इस नवीन व्यवस्था से तत्काल अवगत कराये। जिससे विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति निर्मित न हो, और विद्यार्थियों द्वारा सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से शिकायत करने की स्थिति न बने।

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सागर

पृ.क./पीएमएस/आ0वि0/2022-23/323

सागर दिनांक 25/5/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त अनुरूचित जाति विकास म.प्र.भोपाल।
2. आयुक्त सागर संभाग सागर।
3. कलेक्टर जिला सागर।
4. सभागीय उपायुक्त अनुरूचित जाति एवं जनजाति विकास सागर संभाग सागर।

26/5/2022

सहायक आयुक्त

आदिवासी विकास सागर

कमश: 2/-

डॉ.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म०प्र०)

कमार्क/एस.सी.एस.टी.सेल/2022/ 416

दिनांक 26.05.2022

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सागर के पृष्ठांकित पत्र क/पीएमएस/आ.वि 2022-23/323 सागर, दिनांक 25.05.2022 अनुसार वर्ष 2021-22 की अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान की नवीन व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2021-22 हेतु जिला स्तर से राज्य शासन द्वारा प्राप्त 40% राशि का भुगतान किया जा रहा है, शेष 60% राशि का भुगतान केन्द्र शासन के पीएफएमएस पोर्टल से स्वमेव ही 10 से 15 दिवस के अंदर विद्यार्थियों के बैंक खाते में भुगतान होने की संभावना होगी। संदर्भित पत्रानुसार संबंधित वर्ग के छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-कृप्या संबंधित वर्ग के छात्र-छात्राओं को उक्त संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
2. समस्त संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा-संबंधित छात्र-छात्राओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलसचिवजी के निज सहायक-सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियों-सूचनार्थ प्रेषित।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, (कार्यालय कलेक्टर) जिला- सागर (म.प्र.)- सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल, डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर -सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी

अनु० जमा वि/अनु० जनजाति प्रकोष्ठ

एस.सी./एस.टी.सेल/SC/ST Cell

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
Doctor Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar (M.P.)